

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिबिर

ग्राम पंचायत- पांवेर

प्रकरण संख्या:- 252/25

दिनांक:- 3/10/2025

उनवान

श्री राजेश कुमार पुत्र
लक्ष्मीनारायण श्रीना

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तौवेज, पटवारी हल्का पांवेर भू. अ. नि. पांवेर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम उनसीला प 0 ह 0 पांवेर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 201 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>पिता एवं दादा का नाम</u> <u>राजेश कुमार</u>	<u>लक्ष्मीनारायण</u> <u>कुमार</u>	<u>लक्ष्मीनारायण</u> <u>कुमार लक्ष्मीलाल</u>

1/17 उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

- तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर मालना प्रस्तुत करे।
- प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण कुमार लक्ष्मीलाल श्रीना

1/17
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

